भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं० वीपी/2/2010/एमएचओएम2/एससीएचआरएमटी/आर.यू.–3

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 25–09–2013

सेवा में,

महानिदेशक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,
ब्लॉक नं. 13, सीजीओ कॉमप्लेक्स,
लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

विषय: विभागीय यौन उत्पीड़न के संबंध में श्रीमती विनीता पंवार, उप निरीक्षक संख्या 042700191, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यूनिट चंडीगढ़ का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 04.09.2013 को आयोग में हुई बैठक/चर्चा की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध किया जाता है कि मामले में कार्यवाही में उल्लेखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन. बालासुब्रमणियन

(एन. बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ :

1. श्रीमती विनीता पंवार, मकान नं. 80, सुभाष नगर, मनीमाजरा, चंडीगढ़।

एन. बालासुब्रमणियन

(एन. बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रति: - 1- PS to CP, NCST.
2- PPS to JS
3- SSA (NIC)

सं0 वीपी/2/2010/एमएचओएम2/एससीएचआरएमटी/आर.यू.–3

विभागीय यौन उत्पीड़न के संबंध में श्रीमती विनीता पंवार, उप निरीक्षक संख्या 042700191, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यूनिट चंडीगढ़ के मामले में आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष दिनांक 04.09.2013 को मध्याह्न 12:00 बजे विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ हुई चर्चा/बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष
2. श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव
3. श्रीमती के.डी. बन्सौर, उप निदेशक
4. श्री हरि राम मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1. श्री ए.सी. वर्मा, विशेष महानिदेशक
2. श्री एस.बी. सिंह, महानिरीक्षक (मुख्यालय)
3. श्री दीपक अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक/एल एण्ड आर

अभ्यावेदक

1. श्रीमती विनीता पंवार

पृष्ठभूमि

श्रीमती विनीता पंवार, उप निरीक्षक, संख्या 042700191, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यूनिट चंडीगढ़ ने अभ्यावेदन दिनांक 25.03.2013 आयोग को प्रस्तुत किया और बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनाती के समय तत्कालीन ईकाई प्रभारी उप कमांडेंट श्री आर.के. शर्मा तथा श्री ए.के. द्विवेदी, उप कमांडेंट द्वारा उनका यौन शोषण किया गया तथा उसी क्रम में उक्त अधिकारी की मनगढंत शिकायत पर उनका स्थानान्तरण **चंडीगढ़** से 2600 किलोमीटर दूर **नेवेली** (तमिलनाडु) कर दिया गया। इस संबंध में उसने भी विभाग को शिकायत की है जिसकी जांच लंबित है। आयोग को उसने मामले में हस्तक्षेप कर न्याय हेतु अनुरोध किया है।

इस प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2013 को महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पत्र लिखा गया तत्पश्चात दिनांक 04.04.2013 को एक अनुस्मरण पत्र भेजा गया। आयोग के उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय ने अपने उत्तर रिपोर्ट दिनांक 11.04.2013 आयोग को प्रस्तुत की और वस्तुस्थिति से आयोग

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

को अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि श्रीमती विनीता पंवार की शिकायत की जांच एक गठित कमेटी द्वारा की गयी जांच दौरान शिकायत उचित नहीं पायी गयी। विभाग ने बताया कि इस संबंध में उसके स्थानान्तरण के अनुरोध को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया और खारिज कर दिया गया।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय से प्राप्त उत्तर से अभ्यावेदिका को अवगत कराया गया जिसके संबंध में श्रीमती विनीता पंवार, उप निरीक्षक ने दिनांक 03.05.2013 को आयोग को रिजोएन्डर प्रस्तुत किया जिस पर आवश्यक कार्रवाई एवं कामेंटस प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा पुनः महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 10.05.2013 को पत्र लिखा गया। इसी क्रम में श्रीमती विनीता पंवार ने दिनांक 31.05.2013 को आयोग को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और बताया कि सेवानिवृत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निरीक्षक की शिकायत पर उनके खिलाफ जांच की जा रही है। आयोग द्वारा इस संबंध में श्रीमती विनीता पंवार के अभ्यावेदन दिनांक 29.05.2013 पर कामेंटस हेतु महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को पत्र दिनांक 07.06.2013 लिखा गया। इसी क्रम में श्रीमती विनीता पंवार ने आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 12.07.2013 प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि उनके मामले में महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आयोग समक्ष बुलाया जाए।

मामले में आयोग के पत्र दिनांक 10.05.2013 के संदर्भ में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय द्वारा उत्तर रिपोर्ट दिनांक 08.08.2013 प्रस्तुत की गयी जिसमें सूचित किया कि श्रीमती विनीता पंवार, उप निरीक्षक ने स्थानान्तरण पर चंडीगढ़ यूनिट से बड़ौदा यूनिट में 26.06.2013 को कार्य संभाल लिया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोग को प्रेषित उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 11.04.2013 के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि श्रीमती विनीता पवांर तथा श्री ए.के. राय के Associate होने के बारे में लगभग सभी ने आक्षेप लगाया है। यह भी पाया गया है कि निरीक्षक ए.के.राय का नाम संयुक्त रूप से आपत्तिजनक शब्दावली के साथ एयरपोर्ट के टॉयलेट में लिख गया है। इसके अतिरिक्त कुछ बेहद अश्लील किस्म के चित्र भी बनाये गये थे।

यह भी पाया गया है कि श्री आर.के.शर्मा द्वारा माननीय अदालत में अपना जवाब दाखिल करते हुए यह कहा गया कि श्रीमती विनीता पंवार, निरीक्षक, ए.के.राय के साथ Closely Associate है।

आरोपो और प्रत्यारोपो को पढ़ने के पश्चात आयोग के संज्ञान में आया कि

1. श्रीमती विनीता पवांर अपने अभ्यावेदन में शिकायत की है कि टायलेट में उनके बारे में फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखा गया था तथा जांच रिपोर्ट में भी उसकी पुष्टि हुई है

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

जिसमें जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने कोई संवेदनशीलता नहीं बरती जब कि इस बारे में उन्हें जानकारी दी गयी थी।

2. महिला अधिकारी श्रीमती विनीता पवांर इन्हीं आक्षेपों को लेकर अपने को यौन पीड़िता बताया।

3. जांच रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात यह भी पाया गया है कि श्रीमती विनीता पवांर के बारे में फोर्स के कर्मचारियों/अधिकारियों का उनका किसी अन्य व्यक्ति से एसोसिएट होना दिखाया गया है, होते हुए भी जांच अधिकारी ने एक महिला अधिकारी के बारे में ऐसा विचार रिकोर्ड पर आये जो महिला अधिकारी के लिए दुख तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में कष्टदायी हो सकता है।

4. उनके संबंधों को लेकर जांच और अधिकारियों ने अपनी–अपनी स्टेटमेंटे भी दी है।

आयोग ने महसूस किया कि सीआईएसएफ एक अर्द्ध पारा मिलिटरी फोर्स है तथा महिला अधिकारियों के लिए इस प्रकार के विचार रखना एक प्रकार की बीमारी प्रतीत होता है क्योंकि श्रीमती विनीता पवांर महिला अधिकारी है तथा उन्हें बुरी नियत से देखा है उनकी छोटी सी कमजोरी को भी बहुत ज्वलित किया है और दूसरे की प्रशासनिक गलती को नजरअंदाज किया गया है और आरोपित श्रीमती पवांर को बनाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सीआईएसएफ ने एक जनजाति महिला अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24/06/1985 को नजरअंदाज करते हुए उसे नेवेली के लिए स्थानान्तरित किया गया। जबकि पिछले 4–5 साल से सीआईएसएफ यूनिट एनएलसी नेवेली बटालियन की यह पद भरा नहीं गया है या यह श्रीमती विनीता पवांर के आरक्षित कर उनका तबादला बार–बार नेवेली किया जाता रहा है। आयोग ने इन संगीनताओं पर विचार करते हुए दिनांक 04.09.2013 को मध्याह्न 12:00 बजे महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ चर्चा/बैठक निश्चित की गयी।

चर्चा

श्री राजीव महानिदेशक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने पत्र दिनांक 27.08.2013 द्वारा उक्त प्रकरण पर चर्चा हेतु उनकी एवज में श्री एस.सी. वर्मा, विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आयोग में उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया। तद्नुसार प्रकरण में अनुसूचित तिथि अनुसार दिनांक 04.09.2013 को श्री ए.सी.वर्मा, विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अन्य अधीनस्थ आधिकारीगण के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और मामले में चर्चा करते हुए आयोग को सूचित किया –

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

1. श्रीमती विनीता पंवार के साथ कथित दो अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच गठित कमेटी द्वारा की गयी है जिसके द्वारा पाया गया है कि श्रीमती विनीता पंवार की उच्च अधिकारीगण के विरूद्ध दबाव बनाने की वजह से शिकायत करने की आदि है।

2. विभाग द्वारा महिलाओं की गरिमा/प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्थानान्तरण के मुद्दे पर आयोग द्वारा चाहने पर विशेष महानिदेशक ने बताया कि महिलाओं के लिए प्राथमिकता तौर पर तैनाती हेतु सुविधायुक्त बड़ौदा यूनिट के लिए श्रीमती विनीता पंवार का स्थानान्तरण किया गया है जो कि उनके लिए दूर होते हुए सबसे अधिक सुविधाजनक है।

इस संबंध में आयोग ने कहा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात महिला कर्मचारी/अधिकारी की इज्जत/गरिमा/प्रतिष्ठा तथा उसकी नौकरी को सम्मानजनक बनाये रखा जाना चाहिए। यदि इस मामले पर श्रीमती विनीता पंवार की कोई शिकायत है तो विभाग द्वारा उसको तुरंत ही उचित रूप में समाधानात्मक तौर पर सुनी जानी चाहिए।

आयोग द्वारा पूछने पर अभ्यावेदिका श्रीमती विनीता पंवार ने अनुरोध किया कि उनके साथ विभाग के कथित अधिकारीगण द्वारा किए गए यौन शोषण/उत्पीडन की कार्रवाई से उक्त अधिकारीगण को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि विभाग में तैनात किसी महिला कर्मचारी/अधिकारी की इज्जत सबसे अधिक संवेदनशील है। श्रीमती पंवार ने आयोग को अनुरोध किया कि उनकी किसी भी शिकायत/अपील पर विभाग द्वारा संतोषप्रद कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे उसमें असंतोष है। स्थानान्तरण के संबंध में श्रीमती पंवार ने आयोग को अनुरोध किया कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी होने के नाते उनका स्थानान्तरण उनकी सुविधा के अनुरूप होना चाहिए। उसने आयोग को अनुरोध किया कि उनके द्वारा स्थानान्तरण एवं यौन शोषण पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत करने पर विभाग द्वारा चार्जशीट दी गयी है।

आयोग ने विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को संज्ञान कराया कि गठित संवैधानिक राष्ट्रीय महिला आयोग को एक महिला अपनी पीड़ा एवं समस्या पर शिकायत कर सकती है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 36024/5/97-Estt.(Res.) दिनांक 05.01.1998 (प्रति संलग्न) के तहत वह आयोग को भी प्रत्यक्ष तौर पर शिकायत कर सकती है। यदि इस आधार पर श्रीमती पंवार को चार्जशीट दी गयी है तो आयोग उसे अनुचित मानता है। अतः इस पर श्रीमती पंवार की अपील को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा यथोचित रूप में सुना जाए और चार्जशीट को वापस लिए जाने पर विचार करें और आयोग को सूचित करें।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

इस संबंध में आयोग ने श्रीमती विनीता पंवार को यह भी कहा कि वह अपनी सारी शिकायत/अपील विभाग को क्रमवार लिखित रूप में प्रस्तुत करें। अवश्य ही उनके विभाग द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

इस संबंध में आयोग ने विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कहा कि श्रीमती विनीता पंवार की प्रत्येक शिकायत/अपील को गंभीरता से सुना जाए तथा तद्नुसार उस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए जिससे कि किसी महिला कर्मचारी/अधिकारी विभाग के प्रति सेवा करने और वफादार बन सके। स्थानान्तरण के संबंध में आयोग ने विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सलाह दी कि श्रीमती पंवार की समस्या पर गौर किया जाए और महिलाओं की विभाग में तैनाती के अनुरूप उनकी शिकायत का समाधान किया जाए।

विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने आयोग को आश्वासन दिया कि उनके विभाग द्वारा महिला कर्मचारी/अधिकारीगण की समस्याओं/शिकायतों के अनुसार श्रीमती विनीता पंवार की शिकायत को भी दूर किया जाएगा और विभाग द्वारा उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाएगा।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली